

**अनुदान संख्या 88 - भू-संसाधन विभाग**  
**GRANT No. 88 - DEPARTMENT OF LAND RESOURCES**

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
<i>प्रभारित</i>	<i>Charged-</i>			
पूरक	<i>Supplementary</i>	10,25,00	..	-10,25,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			10,25,00
<i>स्वीकृत—</i>	<i>Voted-</i>			
मूल	Original	2259,34,00		
				2259,37,00
पूरक	Supplementary	3,00		-1000,23,69
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			1000,23,65

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान के प्रभारित भाग में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. In the *charged* portion of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2501"	Major Head "2501"			
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	Special Programmes for Rural Development			
पू.	S.	1025.00		
				..
पु.	R.	-1025.00		..

(I) मुख्य शीर्ष "2501" - "परती भूमि विकास - राष्ट्रीय परती भूमि विकास कार्यक्रम - व्यवसायिक सहायता और अन्य कार्यकलाप" के अंतर्गत ₹ 1025.00 लाख का विनियोग न्यायालय के निर्णय घोषित नहीं होने के कारण पूरी

(I) *Appropriation of ₹1025.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under Major Head "2501"- "Waste Land Development - National Waste Land Development Programme - Professional*

तरह से अप्रयुक्त रहा ।

Support and Other Activities” - due to non-declaration of court judgement.

2. अनुदान के स्वीकृत भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :-

2. In the voted portion of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष “2501” ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	Major Head “2501” Special Programmes for Rural Development			
मू.	O.	5900.00		
पू.	S.	1.00	1623.35	1622.86
पु.	R.	-4277.65		-0.49
मुख्य शीर्ष “2506” भूमि सुधार	Major Head “2506” Land Reforms			
मू.	O.	21533.00		
पू.	S.	1.00	23925.00	23924.97
पु.	R.	2391.00		-0.03
मुख्य शीर्ष “2552” उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	Major Head “2552” North Eastern Areas			
मू.	O.	22392.00		
पू.	S.	1.00	..	..
पु.	R.	-22393.00		..
मुख्य शीर्ष “3601” राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head “3601” Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	169700.00		
पु.	R.	-72306.00	97394.00	97394.00
				..

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -  (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
------------------------------	--	--

शीर्ष Head	Head	
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"	
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature	
मू.	O.	4400.00
पु.	R.	-3447.00

953.00	953.00	..
--------	--------	----

(I) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹22394.00 लाख (जिसमें दिसम्बर, 2022 में प्राप्त ₹2.00 लाख का सांकेतिक अनुपूरक अनुदान शामिल है) का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹22392.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध थे :-

(का) "परती भूमि विकास - राष्ट्रीय परती भूमि विकास कार्यक्रम - प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना - परती भूमि विकास घटक" - ₹20000.00 लाख; और

(खा) "भूमि सुधार - अन्य व्यय - डिजिटल भारत भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम" - ₹2392.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को निधियों के पुनर्विनियोग के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2501" - "परती भूमि विकास - राष्ट्रीय परती भूमि विकास कार्यक्रम" के अंतर्गत - बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) "प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना - परती भूमि विकास घटक" - ₹1387.06 लाख की बचत (₹1871.00 लाख

(I) Provision of ₹22394.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in December, 2022) remained wholly unutilized under four heads; of these ₹22392.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Waste Land Development - National Waste Land Development Programme - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Watershed Development Component" - ₹20000.00 lakhs; and

(B) "Land Reforms - Other Expenditure - Digital India Land Records Modernisation Programme" - ₹2392.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2501" - "Waste Land Development - National Waste Land Development Programme" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Watershed Development Component" - saving of

के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) “व्यवसायिक सहायता और अन्य कार्यक्रम” – ₹1545.15 लाख की बचत (₹2241.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) “अभिनव विकास के माध्यम से कृषि लचीलेपन के लिए जलक्षेत्रों का कार्याकल्प हेतु विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना (आर ई डब्ल्यू ए आर डी)” – ₹1344.93 लाख की बचत (₹1788.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(III) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय प्रायोजित योजनायें” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) “केंद्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना – परती भूमि विकास घटक” – ₹52565.00 लाख की बचत (₹116500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक – प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना – जलक्षेत्र विकास घटक” – ₹16221.00 लाख की बचत (₹33200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना – प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना – जलक्षेत्र विकास घटक” – ₹3520.00 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(IV) मुख्य शीर्ष “3602” – “केंद्रीय प्रायोजित योजनायें” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) “परती भूमि विकास – राष्ट्रीय परती भूमि विकास कार्यक्रम – प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना – परती भूमि विकास घटक” – ₹2577.00 लाख की बचत (₹3230.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

₹1387.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1871.00 lakhs);

(B) “Professional Support and Other Activities” - saving of ₹1545.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2241.00 lakhs);

(C) “World Bank Assisted project for Rejuvenating Watersheds for Agricultural Resilience through Innovative Development (REWARD)” - saving of ₹1344.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1788.00 lakhs);

(III) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Watershed Development Component” - saving of ₹52565.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹116500.00 lakhs);

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Watershed Development Component” - saving of ₹16221.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33200.00 lakhs);

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Watershed Development Component” - saving of ₹3520.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs);

(IV) Under Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Waste Land Development - National Waste Land Development Programme - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Watershed Development Component” - saving of ₹2577.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3230.00); and

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना – परती भूमि विकास घटक” – ₹530.00 लाख की बचत (₹730.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(V) मुख्य शीर्ष “2506” – “निर्देशन और प्रशासन – डिजिटल भारत भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम” के अंतर्गत – ₹727.27 लाख की बचत (₹2050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों से कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹340.00 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 77 प्रतिशत है।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹3210.46 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मार्च, 2023 में मुख्य शीर्ष “2506” – “अन्य व्यय – डिजिटल भारत भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम” के तहत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Watershed Development Component” - savings of ₹530.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹730.00 lakhs).

Savings under the above eight heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(V) Under Major Head “2506” - “Direction and Administration - Digital India Land Records Modernisation Programme” - saving of ₹727.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2050.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals from implementing agencies.

(VI) Under one head saving of ₹340.00 lakhs occurred constituting 77 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (₹3210.46 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2023 under Major Head “2506” - “Other Expenditure - Digital India Land Records Modernisation Programme.” Actual excess, however, was ₹3210.45 lakhs.